शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 46 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 09 – 16 नवम्बर 2026 मूल्य पांच रूपये

नए मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्माण पर घिरी सरकार, हाईकोट ने मांगा जबाव

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में नए मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्माण को लेकर विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। शिमला के छोटा शिमला स्थित ऐतिहासिक एलर्सली भवन के आसपास हुए नए निर्माण को लेकर कैप्टन अतुल शर्मा की शिकायत पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है। इस मामले में अदालत ने प्रदेश सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। अब सरकार को बताना होगा कि एलर्सली भवन के आसपास नए निर्माण, जिसमें नए मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा निर्माण भी चर्चा में है, को किस आधार पर मंजूरी दी गई और क्या इसके लिए जरूरी नियमों का पालन किया गया।

एलर्सली भवन में ही हिमाचल प्रदेश सचिवालय स्थित है। यह शिमला की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। शिकायत में कहा गया है कि इस भवन के बिल्कुल पास नए कंक्रीट के निर्माण किए गए हैं। इन निर्माणों के कारण ऐतिहासिक इमारत का पुराना स्वरूप प्रभावित हो रहा है और नई इमारतें उसके ऊपर तक दिखाई दे रही हैं। शिकायतकर्ता ने इन निर्माणों को लेकर सवाल उठाए हैं।

कैप्टन अतुल शर्मा ने सूचना के अधिकार के तहत सरकार से निर्माण की मंजूरी और उससे जुड़े दस्तावेज मांगे थे। उन्होंने हेरिटेज कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक से जुड़े दस्तावेज भी मांगे थे। हाईकोर्ट के 17 अगस्त 2026 के आदेश में कहा गया है कि मंजूरी से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए, लेकिन उनसे पता चलता है कि निर्माण के दौरान जरूरी दूरी रखने यानी सेटबैक के नियमों का पालन नहीं किया गया।

इसी आधार पर शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट से पूरे मामले की स्वतंत्र जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने ऐसी समिति बनाने का आग्रह किया है, जिसमें ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के जानकार, इंजीनियर और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हों। समिति मौके पर जाकर निर्माण की जांच करे और तय समय में अपनी रिपोर्ट दे।

शिकायत में यह भी मांग की गई है कि जिन अधिकारियों ने नियमों के खिलाफ निर्माण की अनुमति दी या इसे रोकने के लिए कारवाई नहीं की, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कारवाई की जाए।

हाईकोर्ट ने 17 अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता देवयानी शर्मा को अदालत की मदद के लिए नियुक्त किया। इसके बाद 21 सितंबर को अदालत ने प्रदेश सरकार से पूरे मामले पर विस्तृत जवाब और शपथपत्र मांगा। सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया।

5 नवंबर की सुनवाई में सरकार की ओर से बताया गया कि जवाब दाखिल कर दिया गया है, लेकिन वह अदालत के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि यदि जवाब में कोई कमी है तो उसे दूर किया जाए और उसे अगली सुनवाई से पहले अदालत के रिकॉर्ड में रखा जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2026 को होगी।

नये मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्माण को लेकर इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इस निर्माण की मंजूरी देते समय ऐतिहासिक एलर्सली भवन की सुरक्षा और आसपास निर्माण के नियमों का पूरा ध्यान रखा गया? क्या अनिवार्य दूरी के नियमों का पालन हुआ? यदि नियमों की अनदेखी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी की है? अब इन सवालों का जवाब प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट में देना होगा।

सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती केवल जवाब दाखिल करने की नहीं, बल्कि उन दस्तावेजों और मंजूरियों के आधार पर अपनी कारवाई को सही साबित करने की है, जिन पर शिकायतकर्ता ने सवाल उठाए हैं। अब यह पूरा मामला कोर्ट की देखरेख में है। 22 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई बहुत अहम होगी, क्योंकि उस दिन सरकार का जवाब कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा।

सवाल यह है कि जब मामला प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण सरकारी भवन और ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ा है, तो निर्माण की मंजूरी देने से पहले नियमों की जांच क्यों नहीं हुई? और यदि नियमों की अनदेखी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?

प्रधानमंत्री तक पहुंची पालमपुर की जमीन विवाद की शिकायत

शिमला/शैल। पालमपुर में 1287 कनाल जमीन को लेकर उठे विवाद ने अब राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आनंद शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट की महिला ट्रस्टी असील अली कुठियाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकायत भेजकर आरोप लगाया है कि ट्रस्ट की जमीन पर कब्जा करने, जबरन रास्ता बनाने, पेड़ काटने और विरोध करने पर मारपीट करने की कोशिश की गई। शिकायत में कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार का नाम आने से मामला और संवेदनशील हो गया है।

शिकायत का सबसे गंभीर पहलू यह है कि महिला ने केवल जमीन पर कब्जे के प्रयास का आरोप नहीं लगाया, बल्कि पुलिस और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उसका दावा है कि शिकायत करने के बावजूद उसे अपेक्षित सुरक्षा और न्याय नहीं मिला। यदि किसी महिला को अपनी संपत्ति और सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री तक गुहार लगानी पड़ रही है, तो स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही तय होना जरूरी है।

महिला के अनुसार, पालमपुर तहसील की ग्राम पंचायत दरोगनू के महाल मरेरी में खाता नंबर-3 के तहत करीब 1287 कनाल जमीन ट्रस्ट के नाम है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 25 मई 2026 को जेसीबी मशीन से जमीन पर रास्ता बनाने का प्रयास किया गया। महिला ने करीब 10 किलोमीटर रास्ता निकालने की कोशिश, जंगल में आग लगाने और 100 से अधिक हरे पेड़ों की कटाई का दावा किया है। विरोध करने पर गाली-गलौज और मारपीट के आरोप भी लगाए गए हैं।

वन विभाग की भूमिका पर शिकायतकर्ता ने विशेष सवाल उठाए हैं। उसका आरोप है कि मौके पर 100 से अधिक पेड़ काटे गए, जबकि विभागीय रिपोर्ट में केवल तीन पेड़ों की कटाई दर्ज की गई। यदि शिकायतकर्ता के पास फोटो और वीडियो साक्ष्य हैं, तो उनकी स्वतंत्र जांच क्यों नहीं करवाई गई? पेड़ों की वास्तविक संख्या और वन संपदा को हुए नुकसान का आकलन किसी निष्पक्ष विशेषज्ञ टीम से होना चाहिए।

पुलिस की भूमिका को लेकर भी शिकायत में गंभीर आरोप हैं। महिला का दावा है कि शुरुआत में एफआईआर दर्ज करने से इन्कार किया गया और बाद में दर्ज रिपोर्ट में घटना के तथ्य बदल दिए गए। उसने एक अन्य घटना में मारपीट और घर का सामान बाहर फेंकने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उसे सुरक्षा देने के बजाय मकान खाली करने के लिए दबाव बनाया गया। शिकायत के अनुसार, इस विवाद में संबंधित अदालत से स्थगन आदेश भी प्राप्त किया गया है।

शेष पृष्ठ 8 पर.....

युवाओं को डिग्री के साथ जिम्मेदार नागरिक भी बनना होगा:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना और नौकरी पाना नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे युवाओं में अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होनी चाहिए। युवाओं को शिक्षा, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक जिम्मेदारी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए।

राज्यपाल वीरवार शाम शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में सुनील उपाध्याय की पुण्यतिथि पर सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। संगोष्ठी का विषय 'शिक्षा, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उत्तरदायित्व में युवाओं की भूमिका' था।

उन्होंने कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। इसके लिए युवाओं को नई



तकनीक, कौशल, शोध और नवाचार के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्हें केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला और जिम्मेदार नागरिक भी बनना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। प्रत्येक नागरिक को इसमें योगदान देना होगा। युवाओं को नशामुक्त समाज बनाने, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने, सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने सुनील उपाध्याय के जीवन और समाज के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए युवाओं से उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का आहवान किया। कार्यक्रम में देवदत्त जोशी, अमित आर्य, प्रो. सुनील कुमार गुप्ता, प्रो. सुरेंद्र शर्मा और पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने अंतरराष्ट्रीय लवी मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या का किया शुभारम्भ

शिमला/शैल। सूफी गायक बावर मुद्दसिर की प्रस्तुति ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध, सांस्कृतिक विरासत और गायक बावर मुद्दसिर ने अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों का मनोरंजन किया और खूब वाहवाही बटोरी।



आपसी भाईचारे का दिखा संगम

रामपुर बुशहर। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने विश्व प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय लवी मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर बिन्दु गुप्ता भी मौजूद रहीं। सांस्कृतिक संध्या में क्षेत्र की समृद्ध परंपरा और लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली।

उपायुक्त एवं लवी मेला समिति के अध्यक्ष अनुपम कश्यप ने राज्यपाल और लेडी गवर्नर का स्वागत किया तथा उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में सूफी गायक बावर मुद्दसिर ने अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों का मनोरंजन किया और खूब वाहवाही बटोरी।

राज्यपाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय लवी मेला केवल व्यापार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को आपस में जोड़ने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे आयोजन हमारी पारंपरिक विरासत को सहेजने के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान, आपसी भाईचारे और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर रामपुर नगर परिषद के अध्यक्ष कर्ण शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

नाथपा झाकड़ी परियोजना देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में अहम: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने एसजेवीएन लिमिटेड की 1,500 मेगावाट क्षमता वाली नाथपा झाकड़ी जलविद्युत परियोजना का दौरा कर इसके कामकाज और बिजली उत्पादन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह परियोजना देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। परियोजना प्रमुख एवं मुख्य महाप्रबंधक राजीव कपूर ने राज्यपाल को बिजली उत्पादन, तकनीकी उपलब्धियों और परियोजना के संचालन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जलविद्युत परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाले कई आधुनिक उपकरण पहले विदेशों से मंगवाने पड़ते थे, लेकिन अब उनका निर्माण भारत में ही हो रहा है।



राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से देश में स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा मिला है। इससे विदेशी उपकरणों पर निर्भरता कम होगी और भारत तकनीकी रूप से मजबूत बनेगा।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत उत्पादन की काफी संभावनाएं हैं। इनका बेहतर उपयोग देश की ऊर्जा सुरक्षा और प्रदेश की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सकता है। उन्होंने परियोजना के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता की सराहना करते हुए बिजली उत्पादन के साथ सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने का आहवान किया।

हिमाचल के सेब, शॉल और हस्तशिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने की जरूरत: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है।



केंद्र सरकार की नीतियों से देश में उद्योग, निवेश, तकनीक और कारोबार के नए अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल बड़ा बाजार नहीं, बल्कि दुनिया के लिए निवेश और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है।

राज्यपाल नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिजनेस चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (आईबीसीसीआई) के इंडिया ग्लोबल पार्टनरशिप कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस वर्ष कार्यक्रम का विषय महिला उद्यमिता और स्टार्टअप के माध्यम से विकसित भारत@2047 था।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सेब, पर्यटन, जलविद्युत, औषधीय पौधों और हस्तशिल्प के क्षेत्र में कारोबार की बड़ी संभावनाएं हैं। कांगड़ा की चित्रकला, कुल्लू और किन्नौर की शॉल तथा चंबा रूमाल जैसे उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाई जा सकती है। इसके लिए बेहतर पैकेजिंग, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग जरूरी है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा उद्यमियों, ग्रामीण महिलाओं और छोटे कारोबारियों को विदेशी बाजारों से जोड़ना चाहिए, ताकि रोजगार और आय के नए अवसर पैदा हों।

राज्यपाल ने आईबीसीसीआई से भारतीय उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के अवसर उपलब्ध करवाने में सहयोग करने का आहवान किया।

विकसित भारत की नींव गांवों की खुशहाली से बनेगी: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब



गांव समृद्ध होंगे, किसान खुशहाल होंगे और युवा आत्मनिर्भर बनेंगे। विकसित भारत की यात्रा गांवों से शुरू होनी चाहिए। इसके लिए स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। राज्यपाल रामपुर में ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का शुभारम्भ करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोगों से मेले में कम से कम एक स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय कारीगरों और उनके परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी। युवाओं को केवल नौकरी तलाशने के बजाय रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और मुद्रा योजना जैसी योजनाएं छोटे कारोबारियों, कारीगरों और युवाओं को अपना काम शुरू करने के अवसर दे रही हैं। राज्यपाल ने किन्नौरी टोपी, ऊनी वस्त्रों, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को डिजिटल माध्यम से देश-विदेश के बाजारों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया।

करीब 400 वर्ष पुराने लवी मेले को हिमाचल की सांस्कृतिक और व्यापारिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि इसकी परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने लोगों और पर्यटकों से पर्यावरण की रक्षा, स्वच्छता बनाए रखने और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने की अपील भी की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने मेले में लगी प्रदर्शनियों और स्थानीय उत्पादों के स्टालों का अवलोकन किया। उपायुक्त अनुपम कश्यप सहित अन्य अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

सरकार की कमाई और खर्च का ब्योरा तैयार, CAG ने भेजे वित्त लेखे

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2025-26 के वित्त लेखे और विनियोग लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (बळ) ने 16 नवम्बर को राज्य सरकार को भेज दिए हैं। सरकार अब इन्हें विधानसभा में पेश करेगी।

वित्त लेखों में यह जानकारी होती है कि सरकार को पूरे साल कितना पैसा मिला और उसने कहां-कहां कितना खर्च किया। वहीं, विनियोग लेखों से पता चलता है कि विधानसभा ने अलग-अलग विभागों के लिए जितना बजट मंजूर किया था, उसमें से कितना पैसा खर्च हुआ और कितना बचा। यदि किसी विभाग ने तय बजट से ज्यादा पैसा खर्च किया है तो उसकी जानकारी भी इन लेखों में दी जाती है। इनके सामने आने से प्रदेश सरकार की आमदनी, खर्च और बजट के इस्तेमाल की पूरी जानकारी मिलेगी।

चिट्टे के खिलाफ खेलों को हथियार बनाएगी सरकार

12 जिलों और 83 उपमंडलों में होंगी खेल प्रतियोगिताएं, 15 से 30 साल के युवाओं को मिलेगा मौका

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए 'खेलो हिमाचल – चिट्टा मुक्त अभियान, 2026' शुरू करने का फैसला लिया है। यह अभियान दिसंबर 2026 से मार्च 2027 तक प्रदेश के सभी 12 जिलों और 83 उपमंडलों में चलाया जाएगा। इसमें 15 से 30 वर्ष की आयु के युवा भाग ले सकेंगे।

अभियान के तहत क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती और रस्साकशी की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। प्रतियोगिताएं पहले उपमंडल स्तर पर, फिर जिला और अंत में राज्य स्तर पर होंगी। लड़के और लड़कियों के लिए अलग – अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। ग्रामीण, दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण, प्रशिक्षण शिविरों और उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका देने पर विचार किया जाएगा। खेल प्रतियोगिताओं के साथ चिट्टे और दूसरे नशीले पदार्थो के नुकसान के बारे में जागरूकता कार्यक्रम भी होंगे। युवाओं को नशे के खिलाफ अभियान से जोड़ा जाएगा। जरूरतमंदों को परामर्श और नशामुक्ति केंद्रों में उपलब्ध पुनर्वास सुविधाओं की जानकारी भी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस कार्रवाई से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए परिवारों, शिक्षण संस्थानों, खेल संगठनों और समाज की भागीदारी जरूरी है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़कर उन्हें स्वस्थ और नशामुक्त जीवन की ओर प्रेरित करना है।

उद्योग मंत्री ने सुखाश्रय, ओपीएस और स्वास्थ्य – शिक्षा सुधारों को बताया सरकार की ताकत

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश सरकार के चार साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए भाजपा पर राजनीतिक षडयत्रों और धनबल के जरिए सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव और उपचुनाव ही सरकार के कामकाज की असली परीक्षा होते हैं और हिमाचल की जनता ने 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद उपचुनावों में भी कांग्रेस सरकार के पक्ष में अपना समर्थन जताया।

चौहान ने मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की प्रमुख योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत करीब छह हजार निराश्रित बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के रूप में अपनाया गया है। पहली मंत्रिमंडल बैठक में 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना को भी उन्होंने सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया।

मंत्री के अनुसार, विशेष राजस्व अदालतों के माध्यम से सात लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। शिक्षा में 150 सीबीएसई स्कूलों और स्वास्थ्य क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। प्रदेश के वित्तीय हितों पर बोलते हुए चौहान ने कड़छम – वांगतू परियोजना में रॉयल्टी 12 से बढ़कर 18 प्रतिशत होने, बीबीएमबी बकाया, वाइल्डफ्लावर हॉल और चंडीगढ़ में हिमाचल के 7.19 प्रतिशत हिस्से का मुद्दा उठाया। किशाऊ बांध पर भी उन्होंने कहा कि निर्माण लागत का बोझ हिमाचल पर नहीं डाला जाना चाहिए।

हालांकि मंत्री ने इन उपलब्धियों और वित्तीय दावों को सरकार की सफलता बताया, लेकिन इनका वास्तविक आकलन योजनाओं के जमीनी लाभ, लंबित मामलों के निपटारे और प्रदेश को मिलने वाले वास्तविक राजस्व से होगा।

दंत चिकित्सा सेवाओं के लिए 18 करोड़ अतिरिक्त राशि देने की घोषणा

शिमला के दंत महाविद्यालय को मिलेंगे आधुनिक उपकरण, सीनियर रेजिडेंसी नीति लागू करने का भी ऐलान

शिमला/शैल। प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं और अस्पतालों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की है। सरकार पहले ही 5.10 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने दंत चिकित्सकों के साथ संवाद के दौरान कहा कि मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने के लिए आधुनिक उपकरणों और स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी।

राजीव गांधी राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय शिमला को आधुनिक डेंटल चेयर, सीबीसीटी मशीनें, इंट्रा ओरल स्कैनर और ऑपरेशन थिएटर टेबल उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा पर्याप्त पैरा मेडिकल स्टाफ और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की सुविधा भी दी जाएगी। आपातकालीन उपचार के लिए ट्रामा सेंटरों में डेंटल चेयर स्थापित करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमीरपुर में करीब 600 करोड़ रुपये की लागत से



अत्याधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। चमियाणा में भी नए दंत महाविद्यालय परिसर की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। दंत महाविद्यालयों में सीनियर रेजिडेंसी नीति लागू होगी और लेक्चरर को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर पदोन्नति दी जाएगी। प्राथमिक, सामुदायिक और जिला अस्पतालों में दंत चिकित्सकों की सहायता के लिए मल्टी टास्क वर्कर तैनात होंगे। सरकार दंत चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देने पर भी विचार कर रही है। अब इन घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करना सरकार के सामने चुनौती होगी।

तीन मेडिकल कॉलेजों में बुजुर्गों के इलाज के लिए खुलेंगे नए विभाग

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने बुजुर्गो को बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने के लिए आईजीएमसी शिमला, डॉ. आरपीजीएमसी टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग खोलने को मंजूरी दी है। इन विभागों के लिए सहायक प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट के पद भी सृजित कर भरे जाएंगे।

जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग में बुजुर्गो को उम्र के साथ होने वाली बीमारियों का विशेष इलाज मिलेगा। बढ़ती उम्र में लोगों को शुगर, बीपी, जोड़ों के दर्द, याददाश्त कमजोर होने और चलने – फिरने में परेशानी जैसी समस्याएं होती हैं। कई बार एक ही व्यक्ति को एक साथ कई बीमारियां होती हैं। ऐसे में इस विभाग में मरीज की सभी स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखकर इलाज किया जाएगा। इसके तहत शारीरिक बीमारियों के साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार बुजुर्गो को बेहतर और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में नए विभाग खुलने से वरिष्ठ नागरिकों को विशेष डॉक्टरों की सेवाएं मिलेंगी। इससे बुजुर्गो को समय पर इलाज मिलने के साथ उनकी सेहत और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

कुफरी में हिमालय और आल्प्स का सांस्कृतिक संगम, भारत – ऑस्ट्रिया के कलाकार बनाएंगे भित्ति चित्र (म्यूरल)

शिमला/शैल। कुफरी में अब हिमालय और यूरोप के आल्प्स पर्वतों की सांस्कृतिक झलक एक ही भित्ति चित्र में दिखाई देगी। होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम) कुफरी अपनी चारदीवारी पर भारत – ऑस्ट्रिया सांस्कृतिक सहयोग के तहत म्यूरल



परियोजना शुरू कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मिलिट्री कैंप के पास बनने वाला यह भित्ति चित्र केवल संस्थान की दीवार को सजाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच कला और सांस्कृतिक संबंधों को भी प्रदर्शित करेगा।

परियोजना का विषय 'जहां हिमालय आल्प्स से मिलता है' रखा गया है। ऑस्ट्रियाई दूतावास की ओर से इस काम के लिए कलाकार फ्लोरियन पर्ले और विटाली हरेख कुफरी पहुंचे हैं। एसओएफएल शिमला की सीमा शर्मा भी इस पहल में सहयोग कर रही हैं। परियोजना को ऑस्ट्रियन कल्चरल फोरम और ऑस्ट्रियाई दूतावास, नई दिल्ली का समर्थन प्राप्त है।

आईएचएम शिमला के प्रधानाचार्य डॉ. मुकुल डिमरी ने कलाकारों का स्वागत करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय कलाकारों को संस्थान में काम करते देखना विद्यार्थियों के लिए सीखने का विशेष अवसर है। इससे उन्हें अलग – अलग देशों की कला, संस्कृति और रचनात्मक सोच को समझने का मौका मिलेगा।

इस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विद्यार्थियों के भविष्य से भी जुड़ा है। ऑस्ट्रियन कल्चरल फोरम, नई दिल्ली के निदेशक माइकल पाल 23 से 25 नवंबर 2026 तक आईएचएम कुफरी के दौरे पर रहेंगे। 24 नवंबर को वे विद्यार्थियों के लिए ऑस्ट्रिया में उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर विशेष प्रस्तुति देंगे। इसके साथ करियर काउंसलिंग सत्र भी आयोजित किया जाएगा।

इस तरह कुफरी में शुरू हो रही यह परियोजना कला और संस्कृति के आदान – प्रदान के साथ विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा और रोजगार के विकल्पों से जोड़ने की पहल भी बनेगी।

सरकारी खरीद से पशुपालकों को मिलेगा बाजार, मिल्कफेड को बढ़ावा देने की तैयारी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी खरीद के जरिए मिल्कफेड और डेयरी सहकारी समितियों को मजबूत करने की पहल की है। अब सरकारी विभागों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, छात्रावासों, कैंटीनों, बोर्डो, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों को अपनी जरूरत के अनुसार उपलब्धता होने पर दूध और दुग्ध उत्पाद मिल्कफेड तथा प्रदेश की डेयरी सहकारी समितियों से खरीदने होंगे। सरकार का दावा है कि इससे हजारों पशुपालकों को दूध बेचने के लिए नियमित बाजार मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी।

इस व्यवस्था से मिल्कफेड के अलावा बिलासपुर और सोलन की चार डेयरी सहकारी समितियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। इनमें कामधेनु हितकारी मंच और कहलूर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, नम्होल (बिलासपुर), गौ अमृत दुग्ध उत्पादक समिति, पपलोटा और अमृत धारा डेयरी सहकारी समिति, दाड़लाघाट (सोलन) शामिल हैं।

हालांकि इस पहल का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकारी संस्थान कितनी नियमितता से इन समितियों से खरीद करते हैं और पशुपालकों को भुगतान समय पर मिलता है या नहीं। केवल खरीद का निर्णय लेने से डेयरी क्षेत्र की समस्याएं दूर नहीं होंगी। दूध के उचित दाम, संग्रहण केंद्रों, परिवहन, प्रसंस्करण और भुगतान व्यवस्था को भी मजबूत करना होगा।

मिल्कफेड के आंकड़ों के अनुसार, वह प्रदेश के 11 जिलों में 799 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से दूध एकत्र कर रहा है। इन समितियों से करीब 55,300 दुग्ध उत्पादक जुड़े हैं। सरकार का कहना है कि पशुपालकों को देश में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार किसानों और पशुपालकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य और सुनिश्चित बाजार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार, डेयरी व्यवसाय छोटे किसानों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। सरकार का लक्ष्य सहकारी संस्थाओं को मजबूत कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है।

जब तक गलती करने की स्वतंत्रता न हो, तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है।
.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों की सुध कौन लेगा?



16 नवंबर को देश ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया। हर साल इस दिन प्रेस की स्वतंत्रता, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका और पत्रकारिता की जिम्मेदारियों पर बड़े-बड़े भाषण दिए जाते हैं। पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया जाता है। सरकारें स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को लोकतंत्र की ताकत मानती हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में पत्रकारों की वास्तविक स्थिति पर नजर डालें तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो पत्रकार सरकार, प्रशासन और व्यवस्था की जवाबदेही तय करते हैं, उनकी अपनी जवाबदेही और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला कौन है? सम्मान समारोहों और मंचों पर पत्रकारिता की महत्ता स्वीकार करना आसान है, लेकिन पत्रकारों की आर्थिक सुरक्षा, रोजगार, पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा और स्वतंत्रता के सवालों पर सरकारों की चुप्पी चिंताजनक है।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुरुआत 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद के अस्तित्व में आने के साथ हुई थी। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और पत्रकारिता के मानकों को बनाए रखना है। प्रेस की स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है कि पत्रकार बिना किसी भय, दबाव और प्रतिशोध की आशंका के जनहित के मुद्दे उठा सके।

हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में पत्रकारिता की चुनौतियां मैदानी राज्यों से अलग हैं। यहां जिला मुख्यालयों से लेकर दूरदराज के गांवों तक पत्रकार सरकारी योजनाओं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और स्थानीय समस्याओं को सामने लाते हैं। छोटे समाचार पत्रों और क्षेत्रीय मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों के सामने नियमित वेतन, नौकरी की स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा जैसी समस्याएं रहती हैं। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकारों के लिए न तो पर्याप्त संसाधन हैं और न ही हर जगह संस्थागत सहयोग उपलब्ध है।

आज पत्रकारिता के सामने एक नई चुनौती डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की भी है। सूचना की गति बढ़ी है, लेकिन उसके साथ फर्जी खबरों, अधूरी जानकारी और भ्रामक प्रचार का खतरा भी बढ़ा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में पत्रकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन यह भी समझना होगा कि जिम्मेदार पत्रकारिता का अर्थ सरकार की तारीफ करना या केवल सकारात्मक खबरें प्रकाशित करना नहीं है। सरकार की उपलब्धियों को सामने लाना जितना जरूरी है, उसकी विफलताओं, अधूरी घोषणाओं और जनता से जुड़े सवालों को उठाना भी उतना ही जरूरी है।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर हिमाचल सरकार को पत्रकारों के लिए एक स्पष्ट कल्याण नीति बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसमें वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन, पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता, गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए उचित व्यवस्था और पत्रकार सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल होने चाहिए। छोटे समाचार पत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकारों की समस्याओं को भी नीति में जगह मिलनी चाहिए। विज्ञापन नीति में पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि सरकारी विज्ञापन किसी संस्थान या पत्रकार की आलोचनात्मक खबरों को प्रभावित करने का माध्यम न बनें।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस केवल पत्रकारों को बधाई देने का दिन नहीं, बल्कि उनकी स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देने का संकल्प लेने का अवसर भी है। सरकारों को समझना होगा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत और स्वतंत्र मीडिया जरूरी है। जो सत्ता सवाल पूछने वाली कलम का सम्मान नहीं करती, वह लोकतंत्र की बुनियाद को ही कमजोर करती है। हिमाचल में पत्रकारों को आश्वासन नहीं, अधिकार चाहिए, समारोहों में सम्मान नहीं, कामकाज की परिस्थितियों में सम्मान चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछने वाला पत्रकार कमजोर होगा तो जनता की आवाज भी कमजोर होगी। आखिर जो पत्रकार जनता की आवाज बनते हैं, उनकी आवाज सुनने की जिम्मेदारी किसकी है? यह सवाल आज प्रदेश सरकार से भी है और पूरे लोकतांत्रिक तंत्र से भी।

विजन 2047: विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें मुस्लिम युवा



गौतम चौधरी

शिक्षा, आधुनिक तकनीक, AI, उद्यमशीलता और राष्ट्रीय भागीदारी के माध्यम से मुस्लिम युवा भारत के भविष्य की नई इबारत लिख सकते हैं।

15 अगस्त 2026 को भारत ने स्वतंत्रता के 79 वर्ष पूरे कर 80वें स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश किया। यह अवसर पिछले आठ दशकों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के साथ भविष्य की दिशा तय करने का भी है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग, चिकित्सा और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज वह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इसके बावजूद एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या विकास की इस यात्रा में सभी सामाजिक और आर्थिक वर्गों की समान भागीदारी सुनिश्चित हो सकी है? क्या देश की दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक आबादी मुस्लिम समाज अपनी पूरी क्षमता के साथ विकास की मुख्यधारा में शामिल हो पाया है?

स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम समाज ने दूसरे समुदायों के साथ मिलकर देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था। अब नई पीढ़ी के सामने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने की चुनौती है। विकसित भारत का अर्थ केवल बड़ी अर्थव्यवस्था और आधुनिक आधारभूत संरचना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार, वैज्ञानिक सोच, सामाजिक न्याय और प्रत्येक नागरिक के लिए सम्मानजनक जीवन भी है। यह लक्ष्य किसी एक सरकार या समुदाय के प्रयासों से नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की सामूहिक भागीदारी से हासिल होगा।

मुस्लिम समाज की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण आधार शिक्षा है। लगभग दो दशक पहले सच्चर समिति की रिपोर्ट ने समुदाय की शैक्षिक और आर्थिक चुनौतियों को उजागर किया था। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर आत्ममंथन और सुधार की आवश्यकता है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए विज्ञान, गणित, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून, प्रबंधन और प्रशासन जैसे आधुनिक विषयों में आगे बढ़ना होगा। मदरसों और परंपरागत शिक्षण संस्थानों में डिजिटल साक्षरता तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर विकसित करने चाहिए। मुस्लिम बालिकाओं की उच्च शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देना भी जरूरी है, क्योंकि महिलाओं की समान भागीदारी के बिना समाज का समग्र विकास संभव नहीं है।

आने वाला दौर डिजिटल अर्थव्यवस्था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का है। डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स, साइबर सुरक्षा, डेटा विश्लेषण और ऑनलाइन शिक्षा जैसे क्षेत्र युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और प्रशासन में भी AI का उपयोग बढ़ रहा है। 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले एक वर्ष में एक करोड़ युवाओं को AI कौशल प्रशिक्षण देने की घोषणा की। इससे पहले नवंबर 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निःशुल्क प्रारंभिक पाठयक्रम 'YUVA AI for ALL' शुरू किया था। इसके अतिरिक्त Future Skills PRIME, Skill India Digital Hub, SWAYAM और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे सरकारी मंच भी युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराते हैं। इन मंचों पर देश का कोई भी पात्र नागरिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। मुस्लिम युवाओं को इनका लाभ उठाना चाहिए। हालांकि केवल AI का परिचय पर्याप्त नहीं है। व्यावहारिक प्रशिक्षण, परियोजनाओं पर काम और निरंतर कौशल विकास भी जरूरी है।

इस दिशा में मुस्लिम समाज के शिक्षण संस्थानों, मदरसों, मस्जिदों से जुड़ी शैक्षिक समितियों और सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए। वे स्थानीय स्तर पर डिजिटल प्रशिक्षण शिविर आयोजित करें, कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएं तथा कम से कम सौ युवाओं को AI और डिजिटल कौशल का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिलाने का लक्ष्य निर्धारित करें।

युवाओं को नौकरी तलाशने के साथ रोजगार देने की सोच भी विकसित करनी होगी। कपड़ा, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा उद्योग और छोटे विनिर्माण जैसे पारंपरिक व्यवसायों को आधुनिक तकनीक, डिजिटल विपणन और बेहतर प्रबंधन से जोड़कर नई संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं। स्टार्ट-अप इंडिया, मुद्रा ऋण और कौशल विकास जैसी योजनाओं की जानकारी लेकर युवा अपने उद्यम स्थापित कर सकते हैं। स्थानीय समस्याओं के समाधान भी नवाचार का आधार बन सकते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने, स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ बनाने और स्थानीय उत्पादों को ऑनलाइन बाजार से जोड़ने जैसे प्रयास रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं।

विकसित भारत का निर्माण आर्थिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। इसके लिए सामाजिक सौहार्द, संवैधानिक मूल्यों और जिम्मेदार नागरिकता की भी आवश्यकता है। मुस्लिम युवाओं को बालिका शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्ति, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक सुधार के अभियानों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। अपने समाज में व्याप्त शैक्षिक पिछड़ेपन, रूढ़ियों और अंधविश्वासों को दूर करने के साथ दूसरे समुदायों के युवाओं से संवाद और सहयोग बढ़ाना भी जरूरी है।

यह भी समझना होगा कि सारी जिम्मेदारी युवाओं पर नहीं डाली जा सकती। गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षा, छात्रवृत्ति, सुलभ उच्च शिक्षा, रोजगार के अवसर, उद्यमों के लिए वित्त और भेदभावमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना सरकार तथा संस्थाओं की जिम्मेदारी है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं का विकास सुनिश्चित होना चाहिए। दूसरी ओर मुस्लिम समाज को भी सरकारी सहायता की प्रतीक्षा करने या परिस्थितियों को दोष देने के बजाय शिक्षा, कौशल, वैज्ञानिक कृष्टिकोण, महिलाओं की भागीदारी और आर्थिक आत्मनिर्भरता को अपनी प्राथमिकता बनाना होगा।

स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे होने तक आज के विद्यार्थी ही भारत के वैज्ञानिक, शिक्षक, डॉक्टर, उद्यमी, प्रशासक और नीति निर्माता होंगे। इसलिए मुस्लिम युवाओं को अपना लक्ष्य केवल नौकरी प्राप्त करने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। ज्ञान, कौशल, नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का संकल्प लेना होगा। स्वतंत्रता संग्राम की पीढ़ी ने देश को राजनीतिक आजादी दिलाई थी। अब नई पीढ़ी के सामने भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध, वैज्ञानिक दृष्टि से सक्षम और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण बनाने की जिम्मेदारी है। विजन 2047 मुस्लिम युवाओं के लिए केवल विकास का अवसर नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के सपनों को साकार करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भारत बनाने का ऐतिहासिक आमंत्रण है।

कैंसर की दवाओं को सस्ती बनाने की प्रक्रिया और मरीजों को प्राथमिकता



– श्री जगत प्रकाश नड्डा
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री

'कैंसर' शब्द पल भर में ही किसी परिवार की जिंदगी बदल देता है। इस बीमारी की पहचान होने के बाद, मरीजों व उनके परिजनों को इलाज, आर्थिक मामलों और भविष्य से जुड़े कई कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। कई परिवारों के लिए तो दवाओं का खर्च एक ऐसे समय में अतिरिक्त बोझ बन जाता है, जब सारे संसाधन मरीज को स्वस्थ करने में लगाए जाने चाहिए। एक करुणामयी स्वास्थ्य प्रणाली को सिर्फ बीमारी ही नहीं, बल्कि उससे पैदा होने वाली आर्थिक तंगी का भी समाधान निकालना चाहिए।

इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने कैंसर के इलाज को और अधिक किफायती बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाकर 137 चिन्हित गैर-अनुसूचित कैंसर- रोधी दवाओं के 'ट्रेड मार्जिन' को तर्कसंगत बना दिया है। इस उपाय के तहत, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 'ट्रेड मार्जिन' को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है और ये संशोधित कीमतें 9 नवंबर, 2026 से लागू हो गई हैं। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है) मरीज द्वारा चुकायी जाने वाली कीमत में अत्यधिक 'मार्क-अप' के बजाय वितरण संबंधी मार्जिन का उचित व तर्कसंगत समावेश होना चाहिए।

इस कदम के नतीजे दवा की दुकानों पर साफ नजर आने लगे हैं। कुल 80 से अधिक दवा कंपनियों ने 137 में से 121 दवाओं से जुड़े 1,366 उत्पादों के लिए संशोधित एमआरपी की सूचना दी है। इनमें से प्रत्येक 5 में से 4 से अधिक उत्पादों की कीमतें कम हो गई हैं। इन दवाओं में से लगभग आधे की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है और कुछ दवाएं तो अब पहले की तुलना में 96 प्रतिशत से भी कम कीमत पर मिल रही हैं।

कीमोथेरेपी के कई दौर का खर्च उठाने वाले परिवार के लिए, इस कदम से इलाज के मासिक बिलों में काफी अंतर आ जाता है। पिछले वर्ष की खपत के आधार पर, मरीजों एवं उनके परिवारों को प्रत्येक वर्ष लगभग 3,500 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है। यह वो रकम है जो अत्यधिक 'ट्रेड मार्जिन' में खप जाने के बजाय उनके घरेलू बजट में ही बनी रहेगी।

यह निर्णय पिछले अनुभवों के आधार पर लिया गया है। वर्ष 2019 में, एनपीपीए ने 'ट्रेड मार्जिन के युक्तिकरण' (टीएमआर) की कवायद के तहत एक प्रायोगिक कार्यक्रम चलाया था जिसमें कैंसर की गैर-अनुसूचित श्रेणी की 42 दवाएं शामिल थीं। इससे 526 ब्रांडों की एमआरपी में 90 प्रतिशत तक की कमी आई थी। अब इसी प्रक्रिया को 137 दवाओं की एक बड़ी सूची तक बढ़ाया जा रहा है। इन दवाओं की पहचान एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई है। इस विशेषज्ञ समिति में प्रमुख कैंसर विशेषज्ञ (ऑन्कोलॉजिस्ट), चिकित्सा विशेषज्ञ, अस्पताल विशेषज्ञ और सरकारी प्रतिनिधि शामिल थे। इस सूची को समय-समय पर अद्यतन किया जाता रहेगा।

एक न्यायसंगत स्वास्थ्य व्यवस्था में दवाओं का किफायती होना जरूरी है। खासकर, भारत जैसे देश में। बाजार में उपलब्ध होने के बावजूद अगर किसी दवा को बहुत महंगी होने के कारण खरीदना संभव न हो पाए, तो वह मरीज के किसी काम की नहीं है। एनपीपीए 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955' के तहत जारी 'औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ), 2013' के जरिए दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करता है। जहां वह 'आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची' में शामिल जरूरी दवाओं की अधिकतम कीमतें (सीलिंग प्राइस) निर्धारित करता है, वहीं गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतों में हर वर्ष होने वाली बढ़ोतरी पर नजर भी रखता है। हालांकि, बाजार के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि कुछ गैर-अनुसूचित दवाओं के मामले में फैक्ट्री से निकलने वाली कीमत और ग्राहक द्वारा चुकाई गई कीमत के बीच का अंतर बहुत अधिक था। इनमें कैंसर की वैसी दवाएं भी शामिल थीं, जिनकी खुराकें इलाज के दौरान अक्सर कई बार और बार-बार लेने की जरूरत पड़ती है।

व्यापार श्रृंखला (ट्रेड चौनल) में बहुत अधिक मार्जिन और इलाज के भारी खर्च को देखते हुए, सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिए कदम उठाया है और मार्जिन को एमआरपी के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है।

सरकार इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी ध्यान दे रही है ताकि मरीजों और उनके परिजनों को टीएमआर का पूरा लाभ मिल सके। निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि संशोधित कीमतें हर फार्मेसी और अस्पताल तक पहुंचें। साथ ही, सभी फार्मेसियों और अस्पतालों को इन कीमतों को पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित करना होगा और इनका सख्ती से पालन करना होगा। मरीज और उनकी देखभाल करने वाले लोग एनपीपीए की वेबसाइट और 'फार्मा सही दाम' ऐप पर इन संशोधित कीमतों को देख सकते हैं। अगर कोई फार्मेसी या अस्पताल निर्धारित कीमत से अधिक पैसे वसूलता है, तो वे इसकी शिकायत सरकार से कर सकते हैं।

टीएमआर की प्रक्रिया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों से चल रहे स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यापक बदलाव का एक हिस्सा है। इस सरकार ने स्वास्थ्य को केवल कुछ चुनिंदा लोगों के विशेषाधिकार के रूप में नहीं, बल्कि गरिमा, उत्पादकता और सामाजिक न्याय की नींव के रूप में देखा है। खासकर, समाज के सबसे गरीब तबके के लिए। 'आयुष्मान भारत' ने कमजोर परिवारों के लिए अस्पताल की सुविधाओं की सुलभता को आसान बना दिया है। सरकार ने कैंसर की रोकथाम, शुरुआती पहचान और समय पर इलाज के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत 'गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' (एनपी-एनसीडी) के तहत, 500 से अधिक 'डे-केयर कैंसर सेंटर' स्थापित किए गए हैं ताकि कीमोथेरेपी तथा कैंसर संबंधी अन्य डे-केयर सेवाएं समय पर मिल सकें। 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' 30 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए कैंसर की आम बीमारियों की मुफ्त जांच की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे कैंसर का शुरुआती चरण में ही पता चल जाता है।

तृतीयक स्तर की देखभाल (टर्शियरी केयर) को मजबूत करने हेतु, टाटा मेमोरियल सेंटर ने कैंसर की व्यापक देखभाल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाराणसी, विशाखापत्तनम, न्यू चंडीगढ़, गुवाहाटी, संगरूर और मुजफ्फरपुर में छह अस्पताल स्थापित किए हैं। इसके अलावा, सभी 22 नए एम्स में भी जांच, चिकित्सा और सर्जरी की सुविधाएं सहित कैंसर उपचार सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

'प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना' किफायती दामों पर अच्छी गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। सरकार ने जीवन रक्षक एवं आवश्यक दवाओं को 50 से 90 प्रतिशत तक की छूट पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'अमृत' फार्मेसियां भी स्थापित की हैं। इलाज के खर्च को और कम करने के इरादे से कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और पुरानी बीमारियों से जुड़ी 36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क (बेसिक कस्टम डयूटी) से पूरी तरह छूट दी गई है। कैंसर-रोधी दवाओं के 'ट्रेड मार्जिन' को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया किफायती दवाएं उपलब्ध कराने की इसी व्यापक प्रतिबद्धता को और आगे बढ़ाती है।

उतना ही महत्वपूर्ण बात यह है कि टीएमआर की प्रक्रिया इस तथ्य को रेखांकित करती है कि दवाओं का किफायती होना और फार्मास्यूटिकल उद्योग का स्वस्थ रूप से आगे बढ़ना, दोनों ही साथ-साथ चलने चाहिए। भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा और दवाओं के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में हमारी हैसियत में बराबर का हिस्सेदार है। यह सीमा (कैप) व्यापार श्रृंखला के मार्जिन पर लागू होती है, जबकि दवा निर्माताओं की बिक्री कीमत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। इस तरह, दवा निर्माताओं की वैध कमाई सुरक्षित रहती है। साथ ही अनुसंधान, विकास और नवाचार की प्रक्रिया में निवेश करते रहने की उनकी क्षमता भी बनी रहती है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, हम एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली बनाने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे जो मरीजों की सुरक्षा करे, नवाचार का सम्मान करे, जिम्मेदार उद्योग को समर्थन प्रदान करे और मानवीय गरिमा को केन्द्र में रखे। किसी देश के स्वास्थ्य तंत्र की सफलता को सिर्फ चिकित्सा तकनीक में हुई प्रगति के आधार नहीं, बल्कि वहां के लोगों को जरूरत के समय इन सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर ही आंका जा सकता है। स्वास्थ्य सेवा के कई पहलू होते हैं, लेकिन इसके केन्द्र में हर नागरिक के लिए किफायती, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए। इस निर्णय के जरिए, सरकार ने एक सीधे एवं सरल सिद्धांत को फिर से दोहराया है। जीवन रक्षक दवाओं पर अत्यधिक मार्जिन होने के कारण किसी भी परिवार को ऐसी आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, जिसे टाला जा सकता था।

बही में 9,180 अमरूद के पौधों से तैयार हो रहा बागवानी क्लस्टर

एचपी शिवा परियोजना से 21 किसानों को मिला नई खेती का विकल्प, आधारभूत सुविधाओं पर खर्च हुए 1.06 करोड़ रुपये

प्रदेश सरकार की एचपी शिवा परियोजना मंडी जिला के सरकाघाट क्षेत्र के किसानों के लिए पारंपरिक खेती का बेहतर विकल्प बन रही है। गोपालपुर विकास खंड के बही गांव में 8.7 हेक्टेयर भूमि पर अमरूद का क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। इसमें 21 किसान जुड़े हैं और अमरूद की हिसार सफेदा तथा जारवी रेड किस्मों के कुल 9,180 पौधे लगाए गए हैं। क्लस्टर के विकास और जरूरी सुविधाएं जुटाने पर अब तक करीब 1 करोड़ 6 लाख 54 हजार रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

प्रदेश सरकार एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से इस परियोजना को लागू कर रही है। इसका उद्देश्य किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ फल उत्पादन से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाना है। बही में खेतों का समतलीकरण, भूमि सुधार, जल निकासी, सोलर बाड़बंदी और आधुनिक सिंचाई व्यवस्था विकसित की जा रही है। इससे पौधों को बेसहारा पशुओं और जंगली जानवरों से बचाने के साथ सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल रही है।

सामुदायिक बागवानी उत्पादन एवं विपणन संघ के प्रधान सुरेश ठाकुर के अनुसार जून 2025 में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने यहां पौधरोपण कार्य का शुभारंभ किया था। अब पौधे लगभग एक वर्ष के हो चुके हैं और चार से पांच फुट तक ऊंचे हो गए हैं। किसानों को उम्मीद है कि उत्पादन शुरू होने पर उनकी आमदनी में वृद्धि होगी।

लाभार्थी निर्मला देवी ने अपनी 10 बीघा जमीन पर अमरूद के पौधे लगाए हैं। उनका कहना है कि पहले धान और गेहूं की खेती में जंगली जानवरों से नुकसान होता था। अब सोलर बाड़बंदी से पौधों की सुरक्षा हो रही है। वहीं, जगदीश चंद ने दो बीघा जमीन पर पौधे लगाए हैं। उन्हें उम्मीद है कि इससे गांव के युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे।

उद्यान विकास अधिकारी शबनम राणा के अनुसार परियोजना के तहत किसानों को उत्पादन के साथ ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन में भी सहयोग दिया जाएगा। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा।

3.50 लाख महिलाओं को 1500 रुपये देने की तैयारी, मुफ्त बिजली का लाभ भी मिलेगा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना' शुरू करने को मंजूरी दी। इसके तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सरकार के अनुसार इस योजना के लिए 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की गई है। वहीं, 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता भी 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश में अतिरिक्त कच्चे पानी को पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को बेचने के लिए एक समान नीति बनाने का फैसला लिया। इसके तहत पानी की शुरुआती दर 1,000 क्यूबिक फीट के लिए 100 रुपये तय की गई है। इस दर में समय-समय पर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर बदलाव किया जाएगा। स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जल विद्युत परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलेगी। परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने पर उसे राज्य सरकार को मुफ्त सौंपना होगा।

लंबे समय से काम शुरू न करने के कारण 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा नीति की शर्तों का पालन न करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन भी रद्द किया जाएगा। 20 अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के लिए दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी।

प्रदेश के सभी 12 जिलों में 'खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026' शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर नशे से दूर रखने का प्रयास किया



जाएगा। सरकार का उद्देश्य खेलों के जरिए युवाओं में अनुशासन, स्वस्थ जीवनशैली और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना है।

मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो कर दिया है। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य भी 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलो करने को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों से अदरक और सेब उत्पादकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य विभाग में मरीजों की सहायता के लिए 1,000 रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करने के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरे जाएंगे। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये कर दिया गया है।

आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में बुजुर्गों के इलाज के लिए जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे। इनके लिए जरूरी पद और सीनियर रेजिडेंट के पद भी भरे जाएंगे। नूरपुर सिविल अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित किए जाएंगे। डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद भरा जाएगा। सिरमौर के हरिपुरधार में नए स्तरोन्नत सिविल अस्पताल को चलाने के लिए भी जरूरी पद भरे जाएंगे। शिमला जिले के कोटखाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई है।

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत उपमंडल स्तर के मार्गों पर बसें चलाने के लिए डीजल बस खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी 30 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ और आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से अटल इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाणा के बीच बस सेवा शुरू करने के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। इन मार्गों पर 10 से अधिक सीटों वाली इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50 प्रतिशत और डीजल बस खरीदने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।

मंत्रिमंडल ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन कराने को मंजूरी दी है। इसके लिए भर्ती नियमों में एकमुश्त छूट दी गई है। कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बड़ोह को पुलिस थाना बनाया जाएगा और इसके लिए आवश्यक पद भरे जाएंगे। डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में नई पुलिस चौकी खोलने को भी मंजूरी दी गई है।

ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद और प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद भरे जाएंगे। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के चार और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद भरा जाएगा। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित चार प्रतिशत आरक्षण के तहत विभिन्न श्रेणियों के तीन पद भरने का फैसला लिया गया है।

प्रदेश के मौजूदा उप-पंजीयक कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए 'रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना' शुरू की जाएगी। इसके पहले चरण में शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिले शामिल होंगे। बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 2.26 हेक्टेयर जमीन पट्टे पर दी जाएगी। चंबा जिले के पांगी में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिया जाएगा। कांगड़ा जिले के डाडासीबा में एसडीएम कार्यालय खोलने और इसके लिए आवश्यक पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी गई है।

प्राकृतिक अदरक का समर्थन मूल्य 30 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो किया

प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को मिलेगा अधिक दाम, तीन लाख से अधिक किसानों को दिया जा चुका है प्रशिक्षण

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को राहत देते हुए प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो कर दिया है। इससे प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अब अदरक बेचने पर पहले के मुकाबले 10 रुपये प्रति किलो अधिक मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया है। सरकार का मानना है कि समर्थन मूल्य बढ़ने से अधिक किसान रसायनों के बिना खेती करने के लिए प्रेरित होंगे।

प्रदेश में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत अब तक तीन लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस योजना में किसानों को रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बजाय गोबर, गोमूत्र और दूसरी प्राकृतिक चीजों से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी की गुणवत्ता और पर्यावरण सुरक्षित रहता है। सरकार का उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को आर्थिक सहायता और नीतिगत समर्थन जारी रहेगा, ताकि हिमाचल को प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाया जा सके।

चिट्टा तस्करों की 92 करोड़ की संपत्ति सीज, 22 अवैध निर्माण ध्वस्त

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार चिट्टा तस्करों के खिलाफ सख्त कारवाई कर रही है और युवाओं का जीवन बर्बाद करने



वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि नशा तस्करों की अवैध रूप से अर्जित 92 करोड़ रुपये की संपत्ति सीज की गई है, जबकि सरकारी जमीन पर किए गए 22 अवैध निर्माण खाली करवाकर ध्वस्त किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने मंडी में आयोजित एंटी चिट्टा जागरूकता वॉकाथॉन का नेतृत्व किया। पड्डल मैदान से शुरू हुई यह वॉकाथॉन बस स्टैंड और सेरी मंच से होते हुए वापस पड्डल मैदान पहुंची। इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को नशे के खिलाफ लड़ने की शपथ भी दिलाई। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टे के कारोबार को खत्म करने के लिए केवल पुलिस और सरकार की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। इसमें अभिभावकों, शिक्षकों, पंचायतों, महिला मंडलों और युवा संगठनों को भी आगे आना होगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि नशे की बिक्री या तस्करी की जानकारी मिलने पर चुप न रहें और टोल फ्री नंबर 112 पर पुलिस को सूचना दें। सही जानकारी देने वालों को सरकार की ओर से पुरस्कार देने का भी प्रावधान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन बनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2025 को शिमला से हुई थी। इसके बाद धर्मशाला, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंडी में 6.55 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले जिला पुस्तकालय भवन का शिलान्यास भी किया।

ट्राउट पालकों को आपदा में 50 हजार तक मुआवजा

जलाशयों की मछली का न्यूनतम मूल्य 100 रुपये किलो

सरकार ने दो नई योजनाओं को दी मंजूरी, करीब 6,300 मछुआरों को मिलेगा लाभ

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मछली पालन से जुड़े लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए दो नई योजनाएं शुरू की हैं। इनके तहत प्राकृतिक आपदा से नुकसान उठाने वाले ट्राउट पालकों को मुआवजा मिलेगा और जलाशयों में मछली पकड़ने वाले मछुआरों को उनकी उपज का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा।

ट्राउट पालकों के लिए सरकार ने एक करोड़ रुपये की जोखिम निधि बनाई है। योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत पालकों को हर साल 500 रुपये जमा करवाने होंगे। बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन जैसी आपदाओं में प्रति रेसवे 2,000 या इससे अधिक मछली के बीज पूरी तरह नष्ट होने पर 25 हजार रुपये मिलेंगे। कम नुकसान पर उसी अनुपात में सहायता दी जाएगी। अधिकतम दो रेसवे के लिए कुल 50 हजार रुपये तक मुआवजा मिलेगा। जांच के बाद राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।

दूसरी योजना के तहत जलाशयों की मछलियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये प्रति किलो तय किया गया है। यदि अधिकृत नीलामी में मछली इससे कम कीमत पर बिकती है तो सरकार अधिकतम 20 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी देगी। इससे प्रदेश के करीब 6,000 से 6,300 लाइसेंसधारी मछुआरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि में मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना के तहत मछुआरों को हर साल 3,500 रुपये दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इन योजनाओं से मछुआरों और ट्राउट पालकों की आय और आजीविका को सुरक्षा मिलेगी।

स्वच्छ सर्वेक्षण में ठियोग ने बनाई देश के शीर्ष 20 निकायों में जगह

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित, विक्रमादित्य सिंह ने प्राप्त किया पुरस्कार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश की नगर परिषद ठियोग ने स्वच्छ सर्वेक्षण में देश के शीर्ष 20 शहरी स्थानीय निकायों में स्थान हासिल किया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किया। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त किया।

यह उपलब्धि शहरी स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में ठियोग के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इसके लिए शहरी विकास विभाग, नगर निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों, सफाई कर्मियों तथा स्थानीय नागरिकों ने मिलकर काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए नगर निकायों के कामकाज की निगरानी की और स्वच्छता व्यवस्था सुधारने पर ध्यान दिया।

मंत्री के अनुसार, प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था मजबूत करने, कचरे के उचित निस्तारण और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। लक्ष्य है कि प्रदेश के अन्य शहरी निकाय भी स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन करें।

केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू किया था। इसके तहत देशभर के शहरी निकायों का स्वच्छता, साफ-सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश ने अब तक आयोजित नौ सर्वेक्षणों में विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार और सम्मान हासिल किए हैं। समारोह में शहरी विकास विभाग के निदेशक नीरज कुमार भी उपस्थित रहे।

गारंटियों के नाम पर सत्ता में आई कांग्रेस पुराने फैसलों का श्रेय ले रही:बिक्रम ठाकुर

शिमला/शैल। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम



ठाकुर ने सुक्खू सरकार के करीब चार साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में न नया औद्योगिक निवेश आया और न ही युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि सरकार अपने कार्यकाल में स्थापित हुई किसी बड़ी औद्योगिक इकाई का नाम बताए और स्पष्ट करे कि कितनी जलविद्युत परियोजनाएं धरातल पर उतरीं।

बीबीएमबी के मुद्दे पर श्रेय लेने को लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल से चली आ रही है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लंबी कानूनी प्रक्रिया का परिणाम है, इसे मौजूदा सरकार की व्यक्तिगत उपलब्धि बताना उचित नहीं है।

उन्होंने पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना की लागत, बिजली उत्पादन और राजस्व का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने तथा स्वतंत्र ऑडिट करवाने की मांग की। विमल नेगी प्रकरण की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी सरकार से जवाब मांगा।

ठाकुर ने महिलाओं को 1500 रुपये, युवाओं को रोजगार और 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी चुनावी गारंटियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार बताए कि कितने लोगों को वास्तव में लाभ मिला। उन्होंने बीबीएमबी, किशाऊ बांध, वाइल्डफ्लावर हॉल और औद्योगिक निवेश पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।

नए सीबीएसई स्कूलों के लिए 3100 शिक्षक भर्ती होंगे, चयन आयोग को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश

जनजातीय क्षेत्रों में नियमित भर्ती के साथ भोटी शिक्षकों की भी होगी नियुक्ति, निजी स्कूलों की फीस नियंत्रण के लिए कानून का अध्ययन

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2027-28 से शुरू होने वाले नए सीबीएसई स्कूलों के लिए 3100 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभागीय



बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। हालांकि, भर्ती की समयसीमा और चयन प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम अभी सामने नहीं आया है।

मंत्री ने बताया कि विभाग में 19 प्रशिक्षकों और 374 सहायक प्रोफेसरों के पद भी भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 9,287 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं। डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना की शर्तों को और आसान बनाने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए इसका लाभ उठा सकें।

जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों की नियमित भर्ती के साथ भोटी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भोटी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन क्षेत्रों के छात्रावासों में रिक्त पद आउटसोर्स आधार पर भरने और ठंड से बचाव के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

बैठक में सात स्थानों पर केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया तेज करने और आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत के निर्देश दिए गए। निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए कानून लाने की संभावनाओं का अध्ययन भी किया जाएगा।

इसके अलावा पदोन्नति प्रक्रिया तेज करने, कॉलेजों में कॉर्पस फंड बनाने और कम्प्यूटर शिक्षकों के ईपीएफ भुगतान को नियमित करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत होंगे हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह 22 नवंबर को आयोजित होगा। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत मुख्य अतिथि होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि समारोह में 702 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इनमें स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी और डिप्लोमा के विद्यार्थी शामिल हैं।

कुलपति के अनुसार, 584 स्नातकोत्तर और 70 स्नातक विद्यार्थियों के अलावा वर्ष 2024 में पीएचडी पूरी करने वाले 48 शोधार्थियों को भी डिग्रियां दी जाएंगी। समारोह में 32 गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। इनमें 23 छात्राएं और 9 छात्र शामिल हैं। छात्राओं का बेहतर प्रदर्शन विश्वविद्यालय में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों को दर्शाता है।

मुख्य समारोह से एक दिन पहले 21 नवंबर को दोपहर दो बजे पूर्वाभ्यास होगा। अब तक करीब 450 विद्यार्थियों ने समारोह में शामिल होने की सहमति दी है।

दिल्ली व्यापार मेले में सजे हिमाचल के उत्पाद 15 स्टॉलों पर दिखेगी प्रदेश की कला और संस्कृति

शिमला/शैल। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले 2026 में हिमाचल प्रदेश के पवेलियन का शुभारंभ



प्रधान आवासीय आयुक्त अजय यादव ने किया। पवेलियन में प्रदेश के पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा, स्थानीय और प्राकृतिक उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए 15 स्टॉल लगाए गए हैं।

इन स्टॉलों में भुट्टिको कुल्लू, हिम इरा, हिमाचल प्रदेश हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट्स और नूरपुर सिल्क मिल्स सहित कई संस्थान अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं। कुल्लू की शॉल, रेशम के उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार स्थानीय उत्पाद मेले में आकर्षण का केंद्र हैं।

प्रदेश के लगभग सभी जिलों के कारीगर और छोटे उद्यमी इस मेले में हिस्सा ले रहे हैं। हिम इरा के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने और नए ग्राहक बनाने का अवसर मिल रहा है। हिली बास्केट और गुलाब शॉल्स इंडस्ट्री भी अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं।

इस मेले से हिमाचल के कारीगरों, महिलाओं और छोटे कारोबारियों को अपने उत्पादों की पहचान बढ़ाने के साथ राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने का अवसर मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है।

किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर मिलेगा 50 प्रतिशत अनुदान

17 नवंबर को लॉटरी से होगा चयन, पावर टिलर और पावर वीडर सहित आधुनिक कृषि उपकरणों पर मिलेगी सब्सिडी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए किसानों को सब्सिडी पर कृषि मशीनरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए एग्री मशीनरी पोर्टल 11 नवंबर को सुबह 11 बजे से खोल दिया गया है। इच्छुक किसान 16 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कृषि विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में खेती को आसान बनाने के लिए किसानों को पावर टिलर, पावर वीडर और अन्य आधुनिक कृषि उपकरण अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए किसानों को कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल agrimachinery.nic.in पर आवेदन करना होगा।

किसानों का चयन 17 नवंबर को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लघु और सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे मशीनरी खरीदते समय केवल भारत सरकार से पंजीकृत फर्मों और स्वीकृत मॉडल का ही चयन करें। इससे उन्हें अनुदान प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

कंगना की सोशल मीडिया पोस्ट पर उठे सवाल अतुल शर्मा की शिकायत पर एफआईआर

शिमला/शैल। गांधी परिवार के सदस्यों की मौतों को लेकर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियां अब कानूनी जांच के घेरे में आ गई हैं। मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत के एक्स अकाउंट पर 10 नवंबर को डाली गई पोस्ट के खिलाफ शिमला के सेवानिवृत्त कैप्टन अतुल शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, संजय गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौतों को सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन से जोड़कर ऐसे सवाल उठाए गए, जिनका कोई ठोस आधार सामने नहीं रखा गया। शिकायतकर्ता ने इसे केवल राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि गांधी परिवार की मौतों को लेकर संदेह पैदा करने वाली सामग्री बताया है।

अतुल शर्मा ने 12 नवंबर को शाम 7 बजकर 51 मिनट पर ई-मेल के जरिए हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को शिकायत भेजी थी। इसकी प्रतियां सीआईडी, साइबर क्राइम विभाग और शिमला पुलिस के अधिकारियों को भी भेजी गई। शिकायत के साथ कंगना के एक्स अकाउंट पर डाली गई पोस्ट का प्रिंटआउट और लिंक दिया गया था। शर्मा ने पुलिस से मांग की थी कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और पोस्ट की पूरी साइबर जांच करवाई जाए। पुलिस ने 13 नवंबर को एफआईआर नंबर 0250 दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

शिकायत में सबसे गंभीर आपत्ति उस पोस्ट पर जताई गई है, जिसमें सोनिया गांधी को 'मिस्टिरियस फॉरेन नेशनल' कहा गया है। पोस्ट में उनके राजीव गांधी से मिलने, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मौतों तथा इसके बाद सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ने की घटनाओं को एक साथ जोड़कर टिप्पणी की गई। इसमें 'हाउ कन्वीनिएंट' जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। अतुल शर्मा का आरोप है कि इस तरह घटनाओं को जोड़ने से लोगों के मन में यह संदेह पैदा हो सकता है कि गांधी परिवार के सदस्यों की मौतों और सोनिया गांधी के राजनीतिक उभार के बीच कोई संबंध था। शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि इतने गंभीर संकेत देने के लिए क्या कोई प्रमाण भी पेश किया गया है?

शिकायत में संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी के परिवार के आवास से अलग होने का भी जिक्र किया गया है। अतुल शर्मा का कहना है कि अलग-अलग समय की घटनाओं को एक साथ रखकर इस तरह पेश करना उचित नहीं है। उनका सवाल है कि यदि किसी के पास इन घटनाओं को लेकर कोई ठोस जानकारी या सबूत हैं तो उन्हें सामने रखा जाना चाहिए। बिना प्रमाण ऐसे संकेत देना लोगों को भ्रमित कर सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्हें राजनीतिक आलोचना से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति या परिवार पर गंभीर आरोप लगाने के लिए तथ्यों का होना जरूरी है।

अतुल शर्मा ने अपनी शिकायत में पुलिस से केवल पोस्ट देखने तक सीमित न रहने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पोस्ट में इस्तेमाल किए गए वीडियो का मूल स्रोत पता लगाया जाए, वीडियो की असलियत जांची जाए और यह देखा जाए कि उसे सही संदर्भ में पेश किया गया है या नहीं। उन्होंने पोस्ट का समय, उसका लिंक, उससे जुड़ी दूसरी सामग्री और सोशल मीडिया पर किए गए साझा संदेशों को भी सुरक्षित रखने की मांग की है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि पोस्ट को पूरा पढ़े और उसके संदर्भ को समझे बिना किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए।

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(बी), 353(2) और 356(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है। ये धाराएं अलग-अलग समूहों के बीच तनाव या वैमनस्य फैलाने, कुछ परिस्थितियों में भ्रामक जानकारी फैलाने और मानहानि से जुड़े मामलों में लगाई जाती हैं। एफआईआर की प्रति में आरोपी के नाम के स्थान पर 'अज्ञात' लिखा गया है, जबकि शिकायत में कंगना रनौत के एक्स अकाउंट पर डाली गई पोस्ट को आधार बनाया गया है।

अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि पोस्ट में किए गए दावों का आधार क्या है और क्या उन्हें कानून के तहत अपराध माना जा सकता है। जांच में पोस्ट की असलियत, वीडियो के स्रोत और उसके पूरे संदर्भ को देखना होगा। अतुल शर्मा ने यह भी मांग की है कि जांच राजनीतिक दबाव से मुक्त और निष्पक्ष हो। उनका कहना है कि किसी का सांसद या प्रभावशाली व्यक्ति होना उसे कानून से ऊपर नहीं बनाता।

हालांकि एफआईआर दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि कंगना रनौत के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हो गए हैं। इसका फैसला पुलिस जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया से होगा। लेकिन यह मामला एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है कि सोशल मीडिया पर राजनीतिक विरोध के नाम पर ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर बिना प्रमाण गंभीर संदेह पैदा करने वाली टिप्पणियां कितनी उचित हैं। अब पुलिस जांच से ही स्पष्ट होगा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितना दम है।

प्रधानमंत्री तक पहुंची

.....पृष्ठ 1 का शेष

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने इस शिकायत को आधार बनाकर प्रदेश सरकार को घेरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से पूछा है कि क्या सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाएगी या राजनीतिक संबंधों के चलते आरोपों को नजरअंदाज किया जाएगा। उनका कहना है कि विधायक के रिश्तेदार का नाम शिकायत में आने के बाद सरकार की जिम्मेदारी है कि वह किसी भी तरह के दबाव से मुक्त जांच सुनिश्चित करे।

अब सवाल केवल 1287 कनाल जमीन का नहीं, बल्कि प्रशासन की निष्पक्षता का है। क्या राजस्व रिकॉर्ड और जमीन की मौके पर पैमाइश करवाई जाएगी? क्या वन विभाग की रिपोर्ट की स्वतंत्र जांच होगी? क्या पुलिस की कारवाई और एफआईआर में दर्ज तथ्यों की समीक्षा होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या शिकायतकर्ता को सुरक्षा मिलेगी?

सरकार के लिए यह मामला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे की परीक्षा है। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप गलत हैं तो जांच से यह स्पष्ट होना चाहिए, और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों के साथ लापरवाही करने वाले पर भी कारवाई होनी चाहिए।

पीटरहॉफ न बिकेगा, न किसी को सौंपेंगे:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। ऐतिहासिक पीटरहॉफ को पीपीपी मॉडल पर निजी हाथों में सौंपने और इसकी बुकिंग बंद किए जाने के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार न तो पीटरहॉफ बेच रही है और न ही किसी अन्य सरकारी संपत्ति को बेचने की योजना है। उन्होंने कहा कि पीटरहॉफ में लीकेज की समस्या है और सरकार इसका विस्तार करने जा रही है। जीर्णोद्धार के बाद यहां कम से कम 100 कमरों की क्षमता वाला बड़ा भवन तैयार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने जयराम ठाकुर के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पता नहीं वह इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा के पूर्व शासनकाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर करीब पांच हजार बीघा जमीन एक रुपये की लीज पर बिना पंजीकरण के दे दी गई थी।

हालांकि मुख्यमंत्री के इस जवाब में पीटरहॉफ की 26 नवंबर के बाद की बुकिंग बंद करने और पहले से की गई बुकिंग रद्द करने के जयराम ठाकुर के दावे पर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। न ही 29 जनवरी 2026 के उस कथित पत्र और बुकिंग से जुड़े आदेशों को सार्वजनिक करने की मांग पर स्थिति स्पष्ट की गई, जिसका हवाला नेता प्रतिपक्ष दे रहे हैं। ऐसे में पीटरहॉफ के भविष्य, उसके संचालन की प्रस्तावित व्यवस्था और बुकिंग संबंधी आदेशों को लेकर सवाल अभी बने हुए हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने की चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि सत्र लंबा रखा गया है, ताकि विपक्ष जनहित के विषय सदन में उठा सके। जयराम ठाकुर पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष काफी दबाव में हैं।

पीटरहॉफ को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल:जयराम

शिमला/शैल। पीटरहॉफ को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने के फैसले को लेकर जयराम ठाकुर ने सरकार की मंशा और पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पीटरहॉफ की 26 नवंबर के बाद की बुकिंग बंद कर दी गई हैं और इस तारीख के बाद के लिए पहले से की गई बुकिंग भी रद्द की जा रही हैं। जयराम के अनुसार, इस मामले में 29 जनवरी 2026 को जारी पत्र में 12 जून 2026 के बाद बुकिंग नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। बाद में इस अवधि को आगे बढ़ाया गया। उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार ने पहले ही बुकिंग रोकने के निर्देश जारी कर दिए थे तो अब मुख्यमंत्री इस संबंध में स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष ने मांग की कि सरकार पीटरहॉफ के संचालन से जुड़े आदेश, समझौते और बुकिंग बंद करने के निर्देश सार्वजनिक करे। उनका आरोप है कि सरकार आधिकारिक दस्तावेज सामने नहीं आने दे रही है। उन्होंने कहा कि पीटरहॉफ केवल एक होटल नहीं, बल्कि हिमाचल की ऐतिहासिक पहचान से जुड़ी धरोहर है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इसके संचालन की जिम्मेदारी किस व्यवस्था के तहत और किन शर्तों पर दी जा रही है। जयराम ने सवाल उठाया कि प्रदेश की ऐतिहासिक संपत्ति के भविष्य से जुड़ा फैसला पारदर्शी तरीके से जनता के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है।